रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272312
CG-DL-E-07052026-272312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2134] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948
No. 2134] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली,10 अप्रैल, 2026

सं. 08/2026-2027

विषय: पंख की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2221(अ).— समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 5 के तहत विशिष्ट आइटीसी (एचएस) कोड़ की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

1. आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 5 के तहत नीतिगत शर्त 5 को निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

(i) केपेक्सिल द्वारा प्रत्येक खेप के लिए पशु चिकित्सक प्रमाणपत्र / शिपमेंट क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (ईयू/यूके मॉडल के अनुरूप) जारी किया जाएगा, जिसमें निर्यातक का विवरण, जैसे- निर्यातक का नाम और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यातक का आइईसी, संयंत्र अनुमोदन संख्या और अन्य संबंधित विवरण दिया जाएगा जो कि मौजूदा ईयू / यूके विनियमन के अधीन होगा।

(ii) शिपमैंट के बाद, निर्यातक क्रेता को खेपवार "उत्पादन प्रक्रिया प्रमाण पत्र" या "पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र" भी प्रदान करेगा, जिसमें एचएस कोड, पैकेजिंग, उसका मूल स्थान, गंतव्य, पोत का नाम, प्रस्थान की तिथि तथा पशु चिकित्सा स्वास्थ्य आवश्यकता सहित उत्पाद का विवरण शामिल होगा।

(iii) यह पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र संयुक्त रूप से केपेक्सिल और पशुपालन और डेयरी पालन विभाग, भारत सरकार के पशु संगरोध अधिकारी द्वारा केवल तभी जारी किया जाएगा, जब आयात करने वाले देश द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र अपेक्षित हों या अनिवार्य हों।

2. निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड की निर्यात नीति में तदनुसार संशोधन किया जाता है:

आइटीसी (एचएस कोड़)	**विवरण**	**निर्यात नीति**	**मौजूदा निर्यात नीति-गत शर्त**	**संशोधित निर्यात नीतिगत शर्त**
05051090	पंख का प्रकार जिसका प्रयोग भराई के लिए किया जाता है - अन्य	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 1 के अध्यधीन	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 1 और नीतिगत शर्त 5 के अध्यधीन
05059029	अन्य पंख (भराई के प्रयोजन के अलावा) - अन्य	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 1 के अध्यधीन	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 1 और नीतिगत शर्त 5 के अध्यधीन
05059099	चमड़ी और अन्य भाग- अन्य	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 1 के अध्यधीन	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 1 और नीतिगत शर्त 5 के अध्यधीन

अधिसूचना का प्रभाव : उपर्युक्त विशिष्ट आइटीसी (एचएस) कोड के अन्तर्गत पंखों, चमड़ी और अन्य भागों की निर्यात नीति को लागू ईयू/यूके विनियमों के अनुरूप संशोधित किया गया है, जिसमें आयात करने वाले देश द्वारा आवश्यकता होने पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है।

[फा. सं. 01/91/180/03/एएम-19/ईसी/ई-42921]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2026

No. 08/2026-27

Subject: Amendment in Export Policy of Feathers - regarding.

S.O. 2221(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends export policy of specific ITC(HS) codes under Chapter 5 of Schedule-II (Export Policy), ITC(HS), 2022 with immediate effect, as under-

1. Policy condition 5 under Chapter 5 of the Schedule-II (Export Policy), ITC(HS) 2022 is inserted as follows:-

(i) A Veterinary Certificate/Shipment Clearance Certificate (conforming to the EU/UK model) is to be issued consignment-wise by the CAPEXIL indicating details of the exporter such as name and address of the exporter, address of the registered plant, IEC of the exporter, plant approval number and other relevant details, subject to EU/UK regulation in force.

(ii) After the shipment is made, the exporter shall also provide a 'Production Process Certificate" or ' Veterinary Health Certificate' consignment-wise to the buyer giving details of the product with HS code, packaging, its origin, destination, vessel name, date of departure, Veterinary health requirement etc.

(iii)This Veterinary Health Certificate would be issued jointly by CAPEXIL and Animal Quarantine Officer, Department of Animal Husbandry & Dairying, Government of India only where such certificate is required or mandated by the importing country.

2. Export Policy of the following ITC(HS) Codes are amended accordingly:

ITC(HS) Code	Description	Export Policy	Existing Export Policy Condition	Revised Export Policy Condition
05051090	Feathers of a kind used for stuffing; down – Other	Free	Subject to Policy condition 1 of this Chapter	Subject to Policy Condition 1 and Policy condition 5 of this Chapter
05059029	Other feather (excluding for stuffing purpose) – Other	Free	Subject to Policy condition 1 of this Chapter	Subject to Policy Condition 1 and Policy condition 5 of this Chapter
05059099	Skins and other parts – Other	Free	Subject to Policy condition 1 of this Chapter	Subject to Policy Condition 1 and Policy condition 5 of this Chapter

Effect of this Notification: Export Policy of Feathers, Skins and other parts under specific ITC(HS) codes as mentioned above, has been revised in line with applicable EU/UK Regulations, including provision for issuance of Veterinary Health Certificate wherever required by the importing country.

[F. No. 01/91/180/03/AM-19/EC/E- 42921]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA